संख्या-54/2021/1003/26-3-2021-10(28)/1999 टी.सी.

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 25 मार्च 2021

विषय:- **समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शतप्रतिशत अनुदानित विमुक्त जाति आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2025/स0क0/लेखा-बजट/स0प्र0अनु0/ आ0प0वि0/वि0ज0/2020-21, दिनांक-16.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-80-800-03-02-विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-440.00 लाख (रू0 चार करोड़ चालीस लाख मात्र) के सापेक्ष **अवशेष धनराशि रू0-146.68 लाख (रू0 एक करोड़ छियालीस लाख अड़सठ हजार मात्र)** अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-एकमुश्त व्यवस्था के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्ति किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नही हो रही है।

(3)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(4)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय संख्या- ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

संख्या-54/2021/1003(1)/26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल आॅडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in